प्तीजीएचएस '	कार्ड	नम्बर ,	, जबकि	सेवा	में	:	
CGHS	Car	d No v	vhile in	serv	/ice	<b>.</b>	

## केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के लिए सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन

#### APPLICATION FOR CGHS CARD for PENSIONERS OF CENTRAL GOVERNMENT

1. आवेदक का नाम:								
Name of the Applicant	:							
2. श्रेणी	पेंशनर्स		अन्य (नि	र्दिष्ट करें)				
Category	Pensioners		Others (	PI.Specify)				
3. सेवानिवृत्त जहां से विभा	ग / सेवा का ना	म				 		
Name of Department / S	ervice from whe	ere retired						
4पिछले वेतन		मूल	न पेंशन					
Last Pay		Ba	sic Pensio	on:				
5. घर का पता:								
Residential								
Address:					•••••	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 
6. टेलीफोन नंबर: (आ	₹)			(एम)				
Telephone Number: (R	)			(M)				
7. ईमेल आईडी								
e-mail ID								
8. सेवानिवृत्ति की तिथि:								
Date of Superannuatio	n:		//					
		दिनांक	माह वर्ष					
		Date M	<b>l</b> onth	Year				
9. परिवार का विवरण								
Details of Family								
{ * इस कॉलम भरने से पहले प				}				
* Please see definition of Fa	amily before filling	g up this co	lumn}					

क्र.सं.	परिवार के सदस्य का	हिन्दी में नाम	सीजीएचएस कार्ड	जन्मतिथि #	आधार नंबर	ब्लड ग्रुप
	नाम	Name in Hindi	धारक से संबंध	(अनिवार्य )	Aadhar No	(वैकल्पिक)
S.No.	Name of Family Member		Relationship to CGHS Card Holder*	Date of Birth# (Compulsory)		Blood Group (optional)
			स्वयं			
			Self			

<sup>{#</sup> Please attach Proof of age of Persons mentioned above}

10. जिनके नाम से ऊपर दिया जाता है तुम पर निर्भर कर रहे हैं और आप के साथ रह रहे हैं और सभी व्यक्तियों रहे हैं ? हां / नहीं Are all the persons whose names are given above are dependent upon you and are residing with you? Yes / No

{, राशन कार्ड / निर्वाचन पहचान पत्र / पास पोर्ट /कॉलेज / स्कूल / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र / बैंक पासबुक की प्रतिलिपि की तरह, आदि, उनके सामान्य रूप से आप के साथ रहने का प्रमाण संलग्न करें }

11. नीचे दिए गए स्थान पर (स्वयं सहित)परिवार के प्रत्येक सदस्य जिनके नाम(दोनों भाषाओं में) आपके परिवार के भाग के रूप में सम्मिलित किए जाने है की पहचान पत्र आकार की एक फोटोग्राफ चिपकाएं(नाम दोनों भाषओं में लिखें)Paste one ID card size of Photograph of each member of Family(including self) whose names are proposed to be included as part of your family in the space given below(Names should be written in both the languages):

कसं0S.No	कसंoS.No	कसं0S.No	कसं0S.No
नाम	नाम	नाम	नाम
Name	Name	Name	Name
कसं0S.No	कसं0S.No	कसं0S.No	कसं0S.No
नाम	नाम	नाम	नाम
Name	Name	Name	Name

मैं वचन देता हूँ कि इस आवेदन फार्म में सम्मिलित मेरे परिवार के सदस्यों के आश्रित मानदण्ड में यदि कोई बदलाव आता है तो मैं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को तत्काल सूचित करुंगा। यदि मैं सूचित करने में असफल होता हूँ और यदि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को बदलाव के बारे में पता लग जाता है तो के.स. स्वा.यो द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं वापिस लें ली जाएंगी और केसस्वायो और / या उचित प्राधिकारी को छूट होगी वह मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

I undertake to intimate to CGHS immediately if there is any change in dependency criteria of my family members included in this application form. If I fail to intimate and if the CGHS comes to know of the change then the CGHS facility is liable to be withdrawn by the CGHS and the CGHS and/or appropriate authority will be free to initiate any action against me.

मैं वचन देता हूँ कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा की पात्रता न होने पर, मैं के०स०स्वा0यो० कार्ड सौंप दूंगा।

I undertake to surrender the CGHS Card(s) on ceasing to be eligible for CGHS benefits.

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना जॉच करने पर ठीक पाई गई और कोई सूचना छुपाई नहीं गई है या गलत तरीके से नहीं दी गई है और मैं इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार हूँ।

I certify that the information funrnised by me in this application has been verified to be correct and that no information has been concealed or has been misrepresented and I stand by the same.

अनुलग्नक / Encl:—आवासीय / आश्रितों के साथ रहने का प्रमाण / Proof of Residence/Stay of dependents पुत्र की आयु का प्रमाण / विकलांगता प्रमाण पत्र / Proof of age of son/Disability certificate सेवा में रहते हुए के केसस्वायो कार्ड के समर्पण का प्रमाण पत्र / Surrender Certificate of CGHS Card while in service

पीपीओ तथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां /Attested copies of PPO & Last Pay Certificate

		Semi Private Ward	
<b>पात्रताः</b>	जनरल वार्ड /	सैमी-प्राइवेट वार्ड	/प्राइवेट वार्ड
आबंटित सम्पूर्ण (* केसस्वायो द्वा	स्वास्थ्य केन्द्र / CGHS W रा भरा जाए / to be fille	d by CGHS)	***************************************
Verified- by A	// तक वैध uthorized Signatory, (	· · · · ·	/ For Rest of Life.
		न्नानेर हाऊस हटमैंट्स,शाहज ), 9-Bikaner House Hutn	नहां रोड़,नई दिल्ली। nents, Shahjahan Road, New Delhi.
		आवेव	दक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant
		datedderNodated	for Rs
लिये डिमाण्ड ड्रा	क्ट सं0है।	की शाखा / पोस्टल ऑडर संo	पर आहरित रु०के

हस्ताक्षर/Signature

# <sup>—1—</sup> अनुदेश INSTRUCTTIONS

# परिवार की परिभाषा / Definition of Family

(1) पति/Husband / पत्नी/Wife

(केवल पहली पत्नी First wife only ) \*

(2) आश्रित माता पिता / सौतेली मॉ (यदि दत्तक हैं, केवल दत्तक और असली माता पिता नहीं)
Dependent Parents/Step Mother(In case of adoption, only adoptive & not real parents)

(3) यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियां हैं, केवल पहली पत्नि। If adoptive father has more than one wife, the first wife only.

(4) महिला कर्मचारी के लिये अपने आश्रित माता—पिता या आश्रित सास—ससुर को सिम्मिलित करने का विकल्प हैं; सेवा काल के दौरान विकल्प केवल एक बार बदला जा सकता है।

A female employee has a choice to include either her dependent parents or her dependent parents-in law; option exercise can be changed only once during service.

(5) बच्चेः निम्नलिखित शर्तो के रहते हुए कानूनन सम्मिलित दत्तक बच्चे,सौतेले बच्चे,सरक्षंता के लिए लिए गए बच्चे सम्मिलित हैं।

**Children** including legally adopted children, step children and children taken as wards subject to the following conditions:

(i)	पुत्र/Son	कमाना शुरु करने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने			
1		तक जो भी पहले हो।			
		Till he start earning or atttains the age of 25			
		years, whichever is earlier			
(ii)	पुत्री /Daughter	कमाना शुरु करने या शादी हो जाने तक,आयु की			
		कोई सीमा नहीं, जो भी पहले हो			
		Till she start earining or gets			
		married,irrespective of the age			
		limit, whichever may be earlier.			
(iii)	पुत्र किसी भी तरह की स्थाई विकलांगता से	कोई आयु सीमा नहीं			
	पीड़ित(शारीरिक या मानसिक)जैसा कि	Irrespective of age limit,			
	नीचे परिभाषित है				
	Son suffering from any permanent				
	disability of any kind(Physical or mental)				
	as defined below				
(iv)	आश्रित तलाकशुदा / परित्यक्ता या अपने पति	कोई आयु सीमा नहीं			
	से अलग / विधवा लंडिकयां और आश्रित	Irrespective of age limit			
	विवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्ता				
	या अपने पति से अलग / विधवा बहनें				
	Dependent divorced/abandoned or				
	separated from their husband/widowed				
	daughers and dependent unmarried/				
	divorced abandoned or separated from				
	their husband/widowed sisters.				
(v)	आश्रित अवस्यक भाई	व्यस्क होने की आयु तक			
	Dependent Minor brother(s)	Upto the age of becoming a major,			
25 de di sur laborit un de forma de for					

25 वर्ष से ऊपर विकलांग पुत्र के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु कृपया सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

For the purpose of availing CGHS facility for a disabled sons above 25 years, Please attach a cocy of the certificate of disability issued by the competent authority.

विकलांगताः विकलांग व्यक्ति(सामान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी)अधिनियम, 1995(1996 का 1) की धारा 2(1) में निर्धारित विकलांगता होगी जो कि नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

'Disability': will be As DEFIND IN SECTION 2(1) OF THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT,1995 (NO: 1 of 1996)' WHICH IS REPRODUCED BELOW:

### विकलांगता का अर्थ

"DISABILITY MEANS

- (I) अंधापन /BLINDNESS
- (II) कम दिखना /LOW VISION
- (III) उपचारित कुष्ट / LEPROCY CURED
- (IV) सुनना बन्द हो गया है / HEARING IMPAIRMENT
- (V) चलने फिरने में कठिनाई /LOCOMOTOTR DISABILITY
- (VI) मानसिक अवरुद्धता / MENTAL RETARDATION
- (VII) दिमागी बीमारी/MENTAL ILLNESS

(VIII)

## आश्रिता / Dependency:

परिवार के सदस्य (पति / पित्न को छोड़कर)जिनकी मासिक आय 3500 / — + महंगाई भत्ता से कम है उनको आश्रित समझा जाए और जो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के साथ रहते हैं।

Members of family (other then spouse) whose income is less than Rs.3500/-+DA per month are treated as dependents and are normally residing with CGHS beneficiary.

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

The Following Documents are to be enclosed:

- (1) आवासीय प्रमाण / आश्रितों का निवास—(राशन कार्ड / निर्वाचन पहचान पत्र / पास पोर्ट / कालेज, स्कूल,विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र / बैंक पास बुक आदि की प्रति)

  Proof of Residence /Stay of dependents- (copy of Ration Card/ Election ID/Pass Port/
  Identity Card issued by College/ School/University/Bank Pass Book,etc.)
- (2) पुत्र की आयु का प्रमाण / Proof of age of son
- (3) सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी विंकलांगता प्रमाण —पत्र की सत्यापित प्रति(यदि आश्रित पुत्र की आयु 25 या उससे अधिक हैं)

Attested copy of Disability certificate isssued by Competent Authority( in case of dependent son aged 25 and above)

पेंशनर के लिये जो पहली बार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए:

For Pensioners applying for CGHS card for the First time the following Additional Documents are required:

- (4) सेवा कालीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपने का प्रमाण पत्र।
- (5) Surrender Certificate of CGHS Card while in service. पेंशन अदायगी आदेश / अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। Attested copy of PPO& Last Pay Certificate

पेंशनर द्वारा अंशदान "वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,नई दिल्ली" के नाम दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट (अधिसूचित बैंक) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

Contribution by Pensioners should be made by Bank Draft (Scheduled Banks) payable in Delhi in favour of Pay & Accounts Officer CGHS, Delhi,